न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारी: अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 27/अपील/22 तारीख दायरा :16.08.2022

उनवान अपील

01. अब्दुल हमीद पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी भीमसागर डेम, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

02. अब्दुल हकीम पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी असनावर, जिला झालावाड़

03. आबिदा खातुन पुत्री गफूर खां पत्नी गुड्डु जाति मुसलमान निवासी नला मोहल्ला झालावाड़ राजस्थान

04. मुस्ताक खॉ आत्मज वहीद खॉ जाति मुसलमान निवासी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़

05. इस्लाम बी पुत्री वहीद खॉ जाति मुसलमान निवासी निवासी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़ राजस्थान

—अपीलार्थीगण

बनाम

01. जेबुन्नीसा पुत्री नन्हे खॉ पत्नी अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी कोटा रोड़ सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान (मृतक)

जर्ये विधिक प्रतिनिधी

1.1 युसुफ

1.2 रेहान पुत्र जेबुन्नीसा पुत्री नन्हे खॉ पत्नी अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी कोटा रोड़ सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

02. बदरून्निसा पुत्री नन्हे खॉ पत्नी अब्दुल शरीफ जाति मुसलमान निवासी रीछवा तहसील बकानी जिला झालावाड़ (राजस्थान)

03. कमरून्निसा पुत्री नन्हे खॉ पत्नी अब्दुल रउफ जाति मुसलमान निवासी रीछवा तहसील बकानी जिला झालावाड़ (राजस्थान)

04. अनीस खॉ पुत्र अब्दुल रशीद जाति मुसलमान निवासी माथना तहसील बॉरां जिला बॉरां (राजस्थान)

05. जाकिर मोहम्मद पुत्र अब्दुल रशीद जाति मुसलमान निवासी माथना तहसील बॉरां जिला बॉरां (राजस्थान)

06. मंजो बी पुत्री अब्दुल रशीद पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी सरकारी लेटरीन के पास किशोरपुरा कोटा (राजस्थान)

07. पिंकी बी पुत्री अब्दुल रशीद पत्नी शब्बीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बालाखेड़ा तहसील अन्ता जिला बॉरां (राजस्थान)

08. अब्दुल रशीद पुत्र रहमत खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना तहसील बॉरां जिला बॉरां (राजस्थान)

09. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार असनावर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तकरण तहसीलदार असनावर नामा0 संख्या 2124 दिनांक 09.06.2022 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

जिला कलक्टर झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः श्री पुरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– दिनांकः 12.06.2024

अपील अपीलार्थीगण जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत की गई है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण दर्ज करने वाली सक्षम संस्था ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2011 के अनुसरण में दिनांक 09.06.2022 को नामान्तकरण दर्ज कर दिया जबकि नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित डिक्री दिनांक 11.10.2011 अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2012 को अपास्त किये जाने के परिणाम स्वरूप डिक्री निष्प्रभावी हो चुकी थी। साथ ही पक्षकारान का लम्बित वाद दिनांक 12.09.2018 को खारिज हो चुका था इस कारण दिनांक 11.10.2011 के निर्णय की पालना अविधिक थी किन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2012 एवं उपखण्ड अधिकारी असनावर के निर्णय 12.09.2018 एवं न्यायालयों की प्रतिकियाओं को छिपाते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.1011 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की याचना की, जिस पर तहसीलदार असनावर द्वारा उक्त नामा0 दिनांक 09.06.2022 दर्ज किया जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय/नामा0 दर्ज करने वाली सक्षम संस्था ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार असनावर के नामा0 2124 दिनांक 09.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना वकालतन अथवा असालतन अनुपस्थित रहे है तथा पत्रावली वास्ते एकतरफा बहस वकील अपीलांट में रखी गई।

पत्रावली में वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अध्ययन भी किया गया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपील से संबंधित एक वाद संख्या 494/2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के निर्णय दिनांक 11.10.2011 में जेबुन्निसा बनाम अब्दुल गफूर में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। पारित निर्णय से आहत होकर प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायायल द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ निर्णय दिनांक 11.10.2011 को अपास्त कर संबंधित न्यायालय को पुनः सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने सुनवाई दिनांक 12.09.2018 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पेरवी में खारिज किया गया। तत्पश्चात वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2011 की प्रति तहसीलदार असनावर को दिनांक 01.06.2022 को प्रस्तुत कर नामा0 खुलवाने का निवेदन किया। तहसीलदार असनावर ने निर्णय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से बिना जानकारी जुटाए इंतकाल खोले जाने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। वकील अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि जब अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2011 अपर कोर्ट (राजस्व अपील अधिकारी कोटा) द्वारा अपास्त किया जा चुका था तो तहसीलदार असनावर द्वारा नामान्तकरण 2124 दिनांक 09.06.2022 खोलकर माननीय उच्चतर न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2012 की अव्हेलना की है। तहसीलदार असनावर का यह कृत्य किसी भी न्यायालय के आदेश की पालना में नहीं किया गया है केवल वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2022 को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत नामा0 2124 दिनांक 09.06.2022 खोला गया है जो निरस्त होने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

जिला कलक्टर झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

वकील अपीलार्थी की बहस सुनने के पश्चात यह तय है कि जिरह में बताये गए तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजातों से साबित है कि तहसीलदार असनावर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय/उच्चतर न्यायालय के आदेशों के बिना विवादास्पद नामा0 संख्या 2124 दिनांक 09.06.2022 खोला गया है वह न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा आदेश है कि तहसीलदार असनावर द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 2124 दिनांक 09.06.2022 निरस्त किया जाता है क्योंकि जिस निर्णय के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जो नामा0 खुलवाया है उससे संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2011, माननीय उच्चतर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपास्त किया गया है तथा बाद निरस्त निर्णय इंतकाल से संबंधित प्रश्नगत आराजी की निर्णय से पूर्व की स्थिति यथावत रहेगी, का नये सिरे से विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अनुसार इंतकाल खोला जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील असनावर को भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड